(122)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

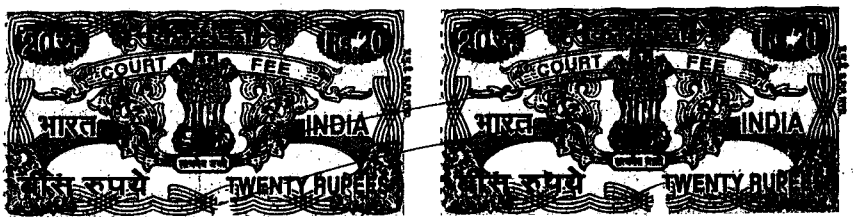

Rs. 40/-

A 5058-II/17

1. भोला तनय दुबरी भुंजवा
2. हीरा भुंजवा तनय दुबरी भुंजवा
3. लल्लू भुंजवा तनय दुबरी भुंजवा
4. तीरथ भुंजवा तनय दुबरी भुंजवा

सभी निवासी ग्राम मोहनिया, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी म0प्र0 ....अपीलार्थीगण

<u>बनाम</u>

शासन म0प्र0 ....रेस्पाडेन्ट

प्रस्तु० श्री सतेन्द्र सिंह द्वारा पेश 09-2-17

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

अपील विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 206/अपील/10–11 में पारित आदेश दिनांक 31–01–17

अपील अंतर्गत धारा 44(1) म0प्र0भू0रा0 संहिता

<u>मान्यवर,</u>

अपील के आधार निम्नलिखित है :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय क आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने काबिल है।
2. यह कि अपीलार्थीगण के पिता ग्राम मोहनिया तहसील गोपदबनास जिला सीधी की भूमि खसरा क्रमांक 508 में वर्ष 1984 के पूर्व से मकान बना कर कब्जा दखल करते चले आ रहे हैं, उनकी मृत्यु के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक अपील 5058–दो/2017 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–5–2017	अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 31–1–2017 की सत्यापित प्रति के अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि अपर आयुक्त ने अपीलार्थीयों की अपील को इस आधार पर निरस्त किया है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय रिकार्ड में छोटे बडे झाड़ का जंगल/निस्तारी जंगल या अन्य किसी प्रकार का जंगल दर्ज है। उक्त भूमि को गैरवानिकी प्रयोजन हेतु देनके के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान लागू होते है तथा भारत सरकार की अनुमति के बिना ऐसी भूमियों का व्यवस्थान नहीं किया जा सकता है। और विशेष उपबन्ध अधिनियम 1984 के नियम 3(1) की प्रथम शर्त के अनुसार 2–10–1984 से उपरोक्त स्वीकृत किये गये व्यवस्थापन की भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा होनो का कोई लैखिक प्रमाण पेश नहीं किया है। इसलिए कलेक्टर ने तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया है। कलेक्टर के आदेश को अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखते हुये अपील को निरस्त किया है। अपर आयुक्त के आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया ही आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस. एस. अली) सदस्य	